रामली – स्टेट बैंक 122/2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.7.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ एवं बंटवारा का पेश कर निवदन किया कि आराजी गत खसरा नं0 158 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा पुखता, ख0नं0 165 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा पुखता, ख0नं0 157 रकबा 3 बिस्वा पुखता आबादी रही उक्त आराजी प्रथम पैमाईश सम्वत 1998 के समय से जेकला उर्फ जेवा पुत्र तेजा कौम चमार के नाम दर्ज रही है। उक्त आराजी के हाल खसरा नं0- 298 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0नं0 302 रकबा 1.02 हैक्टर, ख0नं0 304 रकबा 1.41 हैक्टर	

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

122/2017 रामली - स्टेट बैंक

दिनांक	आज्ञा पत्र
	ख0नं0 305 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 311 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 312 रकबा 0.86 हैक्टर, ख0नं 313 रकबा 0.81 हैक्टर, ख0नं0 315 रकबा 0.98 हैक्टर, ख0नं0 316 रकबा 0.91 हैक्टर बने हैं। यह आराजी खातेदार जेका को उसके पिता से विरासत में मिली थी। जेका का स्वर्गवास सम्वत 2012 में हो गया। जेका का स्वर्गवास हो जाने पर उसके पुत्रों लादूराम, मालाराम उर्फ पालीराम, डुजाराम, चुनाराम के मध्य आपसी पारिवारिक मौखिक समझौता से उक्त कृषि भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा सम्वत 2015 में हो जाने से उन्होने अपने अपने हक हिस्से में तय हुई कृषि भूमि को अलग अलग काश्त करना शुरू कर दिया एवं उक्तानुसार काबिज काश्त होने से कानूनन खातेदार काश्तकार हुये। जिससे उनका कब्जा काश्त इस अनुसार है:-

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

§1§ लादूराम के हिस्से में ख0नं0 313, 315 कुल किता -2 रकबा 1.79 हैक्टर है जो लादूराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं0-5 मोहरसिंह पुत्र लादूराम के कब्जा काश्त में रही ।

§2§मालाराम उर्फ पालाराम के हिस्से में ख0नं0 312 व 316 कुल किता-2 रकबा 1.77 हैक्टर है जिसके फौत होने पर उसके वारिसान उसके पुत्रों नानूराम महावीर वादी सं0-3, 4 तथा दीपाराम के फौत होने पर दीपाराम के वारिस वादी सं0- 11 व 12 के कब्जा काश्त में रहा है ।

§3§ बुजाराम के हिस्से में ख0नं0 304 रकबा 1.41 हैक्टर है जिसके फौत होने पर उसके वारिस रामजीलाल, ओमप्रकाश, तुमेरसिंह, शीशराम, सुरेश कुमार, मु0 बरजी जो वादी सं0-5 से 10है ।

§4§ चुनाराम के हिस्से में ख0नं0 302, 305 कुल किता-2 रकबा 1.58 हैक्टर है चुनाराम के फौत होने उसकी पत्नी मु0 रामली वादिया सं0-1 को अपने भाई बुजाराम के बेटे बंशीधर वादी सं0-2 को गोद

उप खण्ड अधिकारी एवं अपील अधिकारी

इसलिये वादी संख्या-2 को गोद ले लिया । इस प्रकार चुनाराम की आराजी वादिया सं0-1 व 2 के हक हिस्से की हुई । इस प्रकार यह आराजी वाद पत्र की मद संख्या-6 क, ख, ग व घ के अनुसार उक्त जेका के चार पुत्रों के मध्य आपसी पारिवारिक मौखिक समझौता के अनुसार बंटी हुई है इसी अनुसार जमाबन्दी सं0 2017 से 2020 प्रभाव में आई हुई है । जेका के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण सं0-36 दिनांक 8-3-1960 के आधार पर गत ख0नं0 158 रकबा 19 बीघा 13 बिश्वा पुखता वाके ग्राम भाटीवाड़ा की 6 बीघा 5 बिश्वा बुजिया के 6 बीघा 10 बिस्वा चुनीया के 3 बीघा 4 बिस्वा पालया के 3 बीघा 4 बिस्वा लादिया के 10 बिश्वा पुखता हनुमान के कब्जा भोग बताकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत उन्हे खातेदारी अधिकार देना दर्शाकर इन्तकाल भरा गया जिसका अमल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं0- 2017 से 2020 में दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2021 से 2024 में चुनाराम का नाम भोग दर्ज होने से छुट गया तथा 1/4 हिस्सा पारली स्त्री जेकला उर्फ जेका का दर्ज हुआ जो अंकन 2057 से 2060 तक चला । सम्वत 2057 के अनुसार पारली की मृत्यु हो जाने से मोहरसिंह पुत्र लादु हि0 4/16, मालिया पुत्र जयका हि0 4/16 रामली स्त्री चुना हि01/16 रामजीलाल ओमप्रकाश बंशी , सुमेर शिशपाल, सुरेश पिता बुजाराम, बरजी स्त्री बुजाराम हि0 5/16 को उक्तानुसार हिस्सेदार दर्शाकर जमाबन्दी सं0 2065 से 2068, 2069 से 2072 गत खसरा नम्बर 158 के हाल ख0नं0 298, 302, 304, 305, 311, 312, 313 के अनुसार है । गत ख0नं0 165 जिसके हाल खसरा नं0 315, 316 बने है । गत ख0नं0 158 व 165 माफीदारान की माफी में दर्ज रही । इसके बाद माफी खालसा होने पर खतौनी कब्जा काश्त के आधार पर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	बनाई गई । जिस पर वादीगण काबिज काश्तकार है अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर वाद पत्र की मद संख्या-2 , 4 में दर्ज आराजी को मद संख्या-6 क, ख, ग, व घ के अनुसार डिक्री किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।वाद पत्र की मद सख्या-7 व 8 में वर्णित इन्तकाल नं0-36 का विवरण है एवं गलत जमाबन्दियों सम्वत 2021 से 2032 के बीच में बनी उनके बाबत भी विवरण दर्ज किया । तथा स0 2032 के बाद नई पैमाईश शुरू हो गई थी जो पूरी होकर नई पैमाईश के बाद की है । जिसकी प्रथम जमाबन्दी सं0 2057 व 2060 को पहली जमाबन्दी नई पैमाईश के बाद की है। सं0 2032 से 2056 तक कोई जमाबन्दी पैमाईश की कार्यवाही की वजह से नहीं बनी थी अदालत मातहत ने अपने निर्णय में इस अवधि सं0 2032 से 2057 के मध्य का कोई रेकार्ड पेश नहीं करना जाहिर कर दावा खारिज कर दिया जबकि इस अवधि में कोई राजस्व रेकार्ड बना ही नहीं । अपीलान्ट का सम्वत 2021 से 2032 के मध्य जो गलत रेकार्ड तैया हुआ उसके बाबत कोई गौर न कर अपना पारित किया है जो विधि के विपरित है ।उक्त आराजी अपीलान्टस् को उनके पूर्वजो से प्राप्त भूमि हैजो अपीलान्ट की पैतृक भूमियां है । जिनको अपीलान्ट अपने अपने अधिकारों के अनुसार घोषित करवाने के अधिकारी है । इस तथ्य पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी

बहत बगैर तमहित की गई पत्रावली का छछ अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 खतौनी बन्दोबस्त सं0-1998 में ख0नं0 158 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा की काश्त जेकला वल्द तेजा कौम चमार के नाम दर्ज ख0नं0 165 रकबा 20 बीघा 4 बीघा जेकला वल्द तेजा के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-2 नामान्तरकरण संख्या-36 में बूजिया 6 बीघा 5 बिस्वा, चूनिया 6 बीघा 10 बिस्वा हनुमान 10 बिस्वा, पालया 0 3 बीघा 4 बिस्वाछ एवं लादिया 3 बीघा 4 बिस्वा के नाम तस्दीक किया गया है ।प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0-2021 से 2024 में ख0नं0 157, 158/4, 158/1 की खातेदारी लादू माला बुजा पि0 जेता हि0 3/4 मु0 पारली बेवा जेकल्या छे हि0 1/4 के नाम दर्ज है । ख0नं0 158/2, 158/3 की खातेदारी हनुमान पुत्र चन्द्रा के नाम दर्ज है ।यही अंकन प्रदर्श-5 में दर्ज है ।प्रदर्श-3जमाबन्दी सं0-2017 से 2020 में ख0नं0 158 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी बूजिया, छछछछ छछछछ 6 बीघा 5 बिस्वा, चूनिया 6 बीघा 10 बिस्वा, हनुमान 10 बिस्वा, पालीया 3 बीघा 4 बिस्वा, लादीया 3 बीघा 4 बिस्वा छछछ पिता जेका चमार के नाम दर्ज है ।मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-12 गोदनामा जिसमें वादिया सं0-1 ने वादी सं0-2 को गोद लिया है गोदनामा रजिस्टर्ड है । प्रदर्श-3 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रदर्श-5 से 11 का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जेका के चार पुत्र लादूराम, मालाराम, उर्फ पालाराम, बुजाराम व चुनाराम हुआ। विवादित आराजी सम्वत 1998 बन्दोबस्त खतौनी में इनके पिता जेता के नाम दर्ज रही है । इस प्रकार यह आराजी वादीगण की पैतृक भूमि हुई ।जेता उर्फ जेका को देहान्त होने पर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	यह आराजी जेका के चारो पुत्रों ने आपस में बंटवारा कर मौके पर काबिज हुये जो दावा की मद संख्या-6 क, ख, ग, व घ में दर्ज किया है । जो राजस्व रेकार्ड से साबित है। अब अदालत मातहत ने केवल सम02032 से 2057 के मध्य का राजस्व रेकार्ड पेश नहीं करने के कारण दावा खारिज किया है ।जो विधिनुसार उचित नहीं है। यह आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज रही है। इसके बाद राजस्व रेकार्ड में इन्द्रा गलत रूप से दर्ज किया है जिसका कोई सक्षम आदेश नहीं है ।उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा स्पष्ट है ।जिसका प्रतिवादी ने कोई खण्डन नहीं किया है ।अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-4-17 को खारिज किया जाता है तथा वादीगण का दावा स्वीकार कर वाद पत्र की मद संख्या-6 क, ख, ग व घ के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ख0नं0 311 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 398 रकबा 0.28 हैक्टर बाबत वादीगण सं0-1 से 12 व प्रतिवादी सं0-5 को उक्त वादीगण की अपनी अपनी शाखा के अनुसार उन्हे उत्तराधिकार में प्राप्त होने से वादीगण सं0-1 से 12 की उक्त अनुसार संयुक्त कब्जे हक हिस्से खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है ।तथा प्रतिवादी सं0- 1 से 3 बैंकको से जो जिस प्रकार से ऋण सुविधा प्राप्त की है उक्त ऋण राशी का भार प्रत्येक वादी के हक हिस्से की भूमि पर रहेगा । उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया । इसे ही डिक्री माना जावे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 16/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं	